

डिक्री मुकदमा इबादाई
(ओ.20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम रामगढ शेखावाटी कैम्प कोर्ट रामगढ
शेखावाटी
व अलजाम श्रीमती रेणु मीणा (आर. ए. एस.)

1. श्रवण कुमार उम्र 52 साल पुत्र स्व. शंकरलाल जाति माली निवासी गुफावाले कुए के पास रामगढ शेखावाटी जिला सीकर।

.....वादी

बनाम

1. मनोज कुमार पुत्र चिरंजीलाल उम्र 32 साल
2. मनीष पुत्र चिरंजीलाल उम्र 30 साल
3. विक्रम पुत्र चिरंजीलाल उम्र 28 साल
4. संजय पुत्र चिरंजीलाल उम्र 26 साल
5. सुशीला देवी पत्नि चिरंजीलाल उम्र 56 साल
6. झाबरमल पुत्र मूंगाराम उम्र 85 साल
7. भोलू उर्फ भोलाराम पुत्र मूंगाराम समस्त जाति माली निवासीगण गुफावाले कुए के पास रामगढ शेखावाटी जिला सीकर।
8. उप पंजियक महोदय रामगढ शेखावाटी, जिला सीकर।
9. तहसीलदार (भूमि धारक) एवं उप पंजियक रामगढ शेखावाटी जिला सीकर।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर - 39/16 सन् 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमती रेणु मीणा (आर. ए. एस.) व हाजरी वादी श्री दिनेश कुमार नागोरा मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत खसरा नम्बर 237 रकबा 3.10 है0 साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निजीX..... मुबलिकX..... बाबत X
खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह X फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलिया वितक..... Xको अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 21.06.2018 सन् 2018 को जारी किया गया।



दस्तख्त
अधिकारी

	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	01.00	00	स्टाम्प वकालत नामा	04.00	00
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्तनामा वकील			महन्तनामा वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	07.00	00	मुतफरिक		
मीजान	12.00	00	मीजान	04.00	00

नोट- इसी खर्चा फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना



उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी (सीकर)
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2018
ग्राम पंचायत... 1/7/2018

